



क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2023/डी-2932

दिनांक:- 27/6/2023

## सार्वजनिक विज्ञप्ति

ग्राम नगरियावाला तहसील सांगानेर के ख.न. 569 रकबा 0.63 हैक्टे. ख.न. 570 रकबा 0.59 हैक्टे. ख.न. 571 रकबा 0.19 हैक्टे. ख.न. 579 रकबा 0.34 हैक्टे. ख.न. 580 रकबा 0.08 हैक्टे. ख.न. 581 रकबा 0.27 हैक्टे. खातेदार राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ख.न. 582 रकबा 0.29 हैक्टे. ख.न. 583 रकबा 0.22 हैक्टे. ख.न. 663 रकबा 0.10 हैक्टे. ख.न. 664 रकबा 0.18 हैक्टे. ख.न. 666 रकबा 0.12 हैक्टे. खातेदार नारायण पुत्र काना हि. 1/4, रामकुमार पुत्र काना हि. 1/4, रामपाल पुत्र काना हि. 1/4, लक्ष्मीनारायण पुत्र काना हि. 1/4 ख.न. 577 रकबा 0.19 हैक्टे. ख.न. 578 रकबा 0.18 हैक्टे. ख.न. 584 रकबा 0.23 हैक्टे. ख.न. 585 रकबा 0.19 हैक्टे. ख.न. 586 रकबा 0.20 हैक्टे. ख.न. 587 रकबा 0.02 हैक्टे. ख.न. 588 रकबा 0.11 हैक्टे. ख.न. 589 रकबा 0.13 हैक्टे. 590 रकबा 0.12 हैक्टे. ख.न. 591 रकबा 0.09 हैक्टे. ख.न. 592 रकबा 0.04 हैक्टे. ख.न. 593 रकबा 0.04 हैक्टे. ख.न. 594 रकबा 0.08 हैक्टे. ख.न. 595 रकबा 0.05 हैक्टे. ख.न. 596 रकबा 0.07 हैक्टे. ख.न. 662 रकबा 0.23 हैक्टे. ख.न. 665 रकबा 0.19 हैक्टे. ख.न. 667 रकबा 0.13 हैक्टे. ख.न. 668 रकबा 0.03 हैक्टे. खातेदार गोपाल हि. 1/5 चन्दा हि. 1/5 छोटु हि. 1/5 पांचू हि. 1/5 पुत्रान स्व. श्री गणेश, नारायणी पत्नी स्व. गणेश हि. 1/5 ख.न. 597 रकबा 0.11 हैक्टे. ख.न. 598 रकबा 0.23 हैक्टे. ख.न. 599 रकबा 0.13 हैक्टे. ख.न. 600 रकबा 0.17 हैक्टे. ख.न. 601 रकबा 0.11 हैक्टे. ख.न. 602 रकबा 0.12 हैक्टे. ख.न. 603 रकबा 0.22 हैक्टे. ख.न. 604 रकबा 0.30 हैक्टे. ख.न. 655 रकबा 0.01 हैक्टे. खातेदार कानी पत्नी स्व. कल्याण हि. 1/9, बाबूलाल पुत्र कल्याण हि. 1/9, बालूराम पुत्र कल्याण हि. 1/9, मंगेला पुत्र दयाला हि. 1/3, छोटा पुत्र दयाला हि. 1/3 जाति मीणा की भूमि की 90बी प्रकरण संख्या 270/2003 का निर्णय दिनांक 13.01.03 को नारित किया गया था। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर श्यामपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गणेश नगर के नाम से सृजित की जा चुकी है।

वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर सृजित योजना के नियमन हेतु विकास समिति द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस क्रम में राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक प. 1(4)भूअ./2023-24/211 दिनांक 19.05.2023 के द्वारा उक्त योजना के नियमन की कार्यवाही करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।


अतः उक्त भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा प्रकरण में योजना के मानचित्र अनुमोदन कर लीजडीड जारी किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

027-  
उपायुक्त जयपुर-9  
जयपुर

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करावें।

017-  
उपायुक्त जयपुर-9  
जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-5/2023/डी-1475

दिनांक 28.6.23

## प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन आम सूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्ड के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति का भू-उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट [www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in) एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 15 दिवस में मय दस्तावेज सम्बन्धित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू-उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि.स.स/निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान-2025/जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	05	श्रीमती सरजू देवी मिर्धा पत्नी श्री रिछपाल सिंह मिर्धा एवं श्री विजयपाल मिर्धा पुत्र श्री रिछपाल सिंह मिर्धा	श्रीमती सरजू देवी मिर्धा पत्नी श्री रिछपाल सिंह मिर्धा एवं श्री विजयपाल मिर्धा पुत्र श्री रिछपाल सिंह मिर्धा	बी-105	आवासीय	न्यू पिकसिटी श्याम नगर	500.00 व. ग.	व्यावसायिक उपयोग (15 मीटर गहराई तक) व शेष क्षेत्र आवासीय	मिश्रित भू उपयोग

*-Sd/-*  
उपायुक्त जोन-5  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित करें।

*-Sd/-*  
उपायुक्त जोन-5  
जविप्रा, जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102632/2936

DATED- 27/6/2023

## लोक सूचना

खातेदार आवेदक श्रीमती सोनिया अग्रवाल पत्नि श्री गजानन्द अग्रवाल निवासी 1901 स्काई हाई टावर शंकरलेन विस्तार आरलेम मालाड (पश्चिम) मुम्बई द्वारा इस कार्यालय मे नीचे उल्लेखित भूमि का ~~उपयोग~~ उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम-सिरोली तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर	श्रीमती सोनिया अग्रवाल पत्नि श्री गजानन्द अग्रवाल निवासी 1901 स्काई हाई टावर शंकरलेन विस्तार आरलेम मालाड (पश्चिम) मुम्बई	2435	0.3300 हैक्टेयर
कुल		कुल किता 01	रकबा 0.3300 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने ओर अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDA) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 27/6/23 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-9  
उपायुक्त जोन-9  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जयपुर

प्रतिलिपी-जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-9  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जयपुर  
जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एकसंदेशन: (8320): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल (abusufiyan.ras@gmail.com)



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा आवासीय लीजडीड/फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	लीजधारक/मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया है।	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री शिव कुमार केडिया	श्री सुनील जैन	551	74.00 व.ग.	श्री गणपति गृ.नि.स.स.	गणेश नगर, निवारु रोड़	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, राशि जमा की रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आदि।
2	श्रीमती मोनिका केडिया	श्री अक्षय गुर्जर	539	56.00 व.ग.	श्री गणपति गृ.नि.स.स.	गणेश नगर, निवारु रोड़	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, राशि जमा की रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आदि।
3	श्री शिव कुमार केडिया	श्री शिवपाल सिंह	561	56.00 व.ग.	श्री गणपति गृ.नि.स.स.	गणेश नगर, निवारु रोड़	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, राशि जमा की रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आदि।
4	श्रीमती सरोज केडिया	श्री मनीष कुमार शर्मा	528	56.00 व.ग.	श्री गणपति गृ.नि.स.स.	गणेश नगर, निवारु रोड़	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, राशि जमा की रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आदि।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004  
दूरभाष (0141-2560165) : ईपीवीएक्स-0141-2569696, एक्सटेंशन : 8240 फ़ैक्स : 91+141-257455

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी  
जोन-7, जविप्रा, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


5	श्रीमती रितु केडिया	श्री भैरु सिंह	534	56.00 व.ग.	श्री गणपति गृ.नि.स. स.	गणेश नगर, निवारु रोड़	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, राशि जमा की रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आदि।
6	श्री भंवर लाल बरवड़	श्री भंवर लाल बरवड़	49 व 50	214.31 व. ग.	टैगोर नगर गृ.नि.स. स.	मां वैष्णों नगर	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, राशि जमा की रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आदि।

उक्त दस्तावेजात् के आधार पर उक्त भूखण्डों का पट्टा आवेदको के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी-एसएफ-218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा/लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।

सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.7/2023/डी-1273

दिनांक :- 27/6/2023

  
उपायुक्त जोन-7,  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी  
जयपुर  
जोन-7, जविप्रा, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा आवासीय लीजडीड/फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	लीजधारक/मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया है।	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री अखिलेश पारीक एवं श्री भूपेन्द्र पारीक	श्री राधेश्याम पारीक	137	544.62 व.ग.	श्री लक्ष्मी गृ.नि.स.स.	मां हिंगलाज नगर-बी	फ्री होल्ड पट्टा	जविप्रा द्वारा जारी पट्टा, लीजधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत वसियतनामा आदि।
2	श्रीमती लता शर्मा	श्री प्रेम प्रकाश शर्मा	एस-21	112.98 व.ग.	जविप्रा	गोविन्दपुरा करधनी	नाम हस्तान्तरण	जविप्रा द्वारा जारी पट्टा, लीजधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत हकत्याग पत्र आदि।
3	श्रीमती गोविन्दी देवी	श्री दामोदर	150	200.00 व.ग.	दी कृष्णा कॉ-ओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी	के-5-सी	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, राशि जमा की रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, अपंजीकृत इकरारनामा आदि।
4	श्री बजरंग सिंह शेखावत एवं श्री भगवती प्रसाद मित्तल	श्री दिपक खण्डेलवाल	33	357.77 व.ग.	अरविन्द नगर गृ.नि.स.स.	इन्द्रप्रस्थ	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, राशि जमा की रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, पंजीकृत विक्रय पत्र आदि।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष (0141-2560165) : ईपीबीएक्स-0141-2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141-257455

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी  
जोन-7, जविप्रा, जयपुर




# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

5	श्रीमती सोनम मीणा	श्री फूलचन्द मीणा	बी-22-बी	111.25 व.ग.	मित्र गृ.नि.स.स.	कृष्णा विहार-बी एवं डी	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, राशि जमा की रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, पंजीकृत विक्रय पत्र आदि।
---	-------------------	-------------------	----------	-------------	------------------	------------------------------	------------------	--

उक्त दस्तावेजात् के आधार पर उक्त भूखण्डों का पट्टा आवेदको के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी-एसएफ-218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा/लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।

  
उपायुक्त जोन-7,  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी  
जयपुर  
जोन-7, जयपुर

सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.7/2023/डी- 1284  
दिनांक :- 28/6/2023

**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**  
इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर  
प्रारूप 13  
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा  
90-क (8) के अन्तर्गत

संख्या

304

दिनांक

30/6/2023

**लोकसूचना**

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31/12/2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् दारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **खोरा मीणा गृ.नि.स.स.लि.** की योजना **श्री राम नगर-द्वितीय** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 संपटित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 संपटित धारा 90ए(5) एवं संपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
हरनाथपुरा तह. जयपुर	325	0.8473	1. अनिल कुमार पुत्र बलवीर सिंह हिस्सा-1/6
	327	0.7967	2. अशोक कुमार पुत्र बलवीर सिंह हिस्सा-1/6
	328	0.2276	3. चेतन पुत्र सूरतसिंह हिस्सा-1/12
			4. चेतना पुत्री सूरतसिंह हिस्सा-1/12
326	0.0253	5. चिराग पुत्र सूरतसिंह हिस्सा-1/12	
		6. संजीवकुमार पुत्र राजसिंह हिस्सा-1/3	
		7. सावित्री पत्नी सूरतसिंह हिस्सा-1/12 सर्व जाति अहीर (यादव) सा. झोटवाड़ा खातेदार	
		1. अनिल कुमार पुत्र बलवीर सिंह जाति अहीर (यादव) सा. झोटवाड़ा खातेदार	
		2. अशोक कुमार पुत्र बलवीर सिंह जाति अहीर (यादव) सा. झोटवाड़ा खातेदार	
		3. चेतन पुत्र सूरतसिंह जाति अहीर (यादव) सा. झोटवाड़ा खातेदार	
		4. चेतना पुत्री सूरतसिंह जाति अहीर (यादव) सा. झोटवाड़ा खातेदार	
		5. चिराग पुत्र सूरतसिंह जाति अहीर (यादव) सा. झोटवाड़ा खातेदार	
		6. प्रभातीलाल पुत्र पेमाराम जाति बागड़ा सा देह खातेदार	
7. संजीवकुमार पुत्र राजसिंह जाति अहीर (यादव) सा. झोटवाड़ा खातेदार			
8. सावित्री पत्नी सूरतसिंह, जाति अहीर (यादव) सा. झोटवाड़ा खातेदार			
9. हरिनारायण पुत्र खुवाराम जाति बागड़ा सा देह खातेदार			

**उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी**  
जान-7, जयपुर, जयपुर



प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविधि/अभियान/2021/म.म.जा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखनेवाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञापित प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. पी बी-एसएफ-218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्याप्त कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 30/10/2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त  
उपायुक्त एवं जविप्रा, जयपुर  
जोन-7, जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. तहसीलदार जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त  
उपायुक्त एवं जविप्रा, जयपुर  
जोन-7, जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी-8338

दिनांक 30.6.23

जनसम्पर्क अधिकारी  
जविप्रा, जयपुर।

विषय :-90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना सलग्न प्रारूप अनुसार 8 फ्रोंट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहरस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

  
उपायुक्त जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी- ४३३५

दिनांक 30-6-23

## लोक सूचना:-

ग्राम नींदड, तहसील आगेर में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित ग्रीन त्रिवेणी आवासीय प्लैट्स योजना के आवासीय प्लैट्स नम्बर 3, 4, 5, 6 एवं आवासीय एकल पट्टा खसरा नम्बर 636/1 को गिलाकर सामान्य आवासीय हेतु।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	आवासीय प्लैट्स	क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा का नाम	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	पर्ल रियल होम डवलपर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक अमित अग्रवाल, बिल्डमार्ट प्रा.लि. जरिये निदेशक अंकित अग्रवाल भास्कर रियलमार्ट प्रा.लि. जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अरविन्द कुमार खण्डेलवाल	पर्ल रियल होम डवलपर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक अमित अग्रवाल	4	3264.11	निजी खातेदारी	ग्रीन त्रिवेणी आवासीय प्लैट्स	सामान्य आवासीय हेतु।	जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड, साईट प्लान इत्यादि।
			5	5086.85				
		बिल्डमार्ट प्रा.लि. जरिये निदेशक अंकित अग्रवाल	3	2766.76				
			6	4438.49				
		भास्कर रियलमार्ट प्रा. लि. जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अरविन्द कुमार खण्डेलवाल	खसरा नम्बर 636/1	4186.85				

आवेदको द्वारा प्रस्तुत उक्त भूखण्डों की जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड, साईट प्लान इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड की नाम हस्तान्तरण/लीजडीड/फ्री होल्ड लीजडीड जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12  
जविप्रा, जयपुर

### प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करवायें।

उपायुक्त जोन-12  
जविप्रा, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन-12/2023/डी-

दिनांक :

## लोक सूचना

श्री बाबूलाल यादव पुत्र श्री हरचंद यादव जाति यादव निवासी 147, शिव वाटिका, बीड हाथोज, कालवाड रोड, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का संस्थानिक प्रयोजन (बी.एड. कालेज) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अधिष्ठाता अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	वर्तमान स्वामित्व
1.	साबरामपुरा, जयपुर (जयपुर)	मानेसाहाय जन कल्याण शिक्षण संस्थान जयपुर सचिव बाबूलाल यादव	97/2	0.1644	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
2.	साबरामपुरा, जयपुर (जयपुर)	मानेसाहाय जन कल्याण शिक्षण संस्थान जयपुर सचिव बाबूलाल यादव	97/10	0.4047	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
		कुल कितता	2	0.5690	

अतः उक्त भूमि का उपयोग संस्थानिक में अनुमोदन किये जाने के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था/हिताधारक को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में अधोहरताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करावें अन्यथा नियत अवधि पश्चात् नियमानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज ..... को जारी की गयी।

उपायुक्त जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004  
पुरमाप - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटें: 8340 : फैक्स - +91-141-2574555

c-mail:



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : LU2012/JDA/2023-24/102652

दिनांक : 30/06/2023

## लोक सूचना


- रिमार्क केमिकल्स एलएलपी (पंजीकृत कार्यालय दुर्गा गोटर कंपनी 167, जीपीओ के सामने, एमआई रोड, जयपुर राजस्थान) जरिये अधिकृत हरताक्षरकर्ता श्री श्रीप्रिया गुप्ता पुत्र श्री अमन गुप्ता निवासी 15, चाणक्यपुरी तीज दूरिस्ट बुंगलोव के पीछे, बनीपार्क, जयपुर।
- श्री राजू पुत्र श्री बिस्वीचन्द जाति गीणा निवासी ग्राम हरामपुरा, भांकरोटा, जयपुर
- श्री रामस्वरूप पुत्र श्री बिस्वीचन्द निवासी ग्राम हरामपुरा, भांकरोटा, जयपुर
- श्री लल्लूप्रसाद पुत्र श्री बिस्वीचन्द निवासी ग्राम हरामपुरा, भांकरोटा, जयपुर
- श्री बुद्धीप्रकाश पुत्र श्री धन्ना लाल निवासी सिरसी रोड, भोज्यावास भांकरोटा, जयपुर।
- श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रभुलाल निवासी 35, गायत्री नगर, सोडाला, जयपुर
- श्री कमलेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रभुलाल निवासी 35, गायत्री नगर, सोडाला, जयपुर
- श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री धन्नालाल निवासी एस.डी. 77, शान्ति नगर, बिहाईन्ड. ई.एस.आई. हॉस्पिटल, जयपुर राज. जरिये मुआम श्री बुद्धीप्रकाश पुत्र श्री धन्नालाल निवासी सिरसी रोड, भोज्यावास, भांकरोटा, जयपुर राज. ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिष्टुति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्ट.) में
1.	ग्राम श्रीरामगोपालपुरा उर्फ भोज्यावास तहसील सांगानेर	रिमार्क केमिकल्स एलएलपी हि. 1/2 (पंजीकृत कार्यालय दुर्गा गोटर कंपनी 167, जीपीओ के सामने, एमआई रोड, जयपुर राजस्थान)	378	1.0400 हेक्ट. में से 0.8000 हेक्ट.
		श्री राजू पुत्र श्री बिस्वीचन्द हि. 1/12 जाति गीणा सा. देह खातेदार		0.5200 हेक्ट. में से 0.4000 हेक्ट.
		श्री रामस्वरूप पुत्र श्री बिस्वीचन्द हि. 1/12 जाति गीणा सा. देह खातेदार		
		श्री लल्लूप्रसाद पुत्र श्री बिस्वीचन्द हि. 1/12 जाति गीणा सा. देह खातेदार		
		श्री बुद्धीप्रकाश पुत्र श्री धन्ना लाल हि. 1/12 जाति खाती सा. देह खातेदार		0.5200 हेक्ट. में से 0.4000 हेक्ट.
		श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रभुलाल हि. 1/24 जाति खाती सा. देह खातेदार		
		श्री कमलेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रभुलाल हि. 1/24 जाति खाती सा. देह खातेदार		
		श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री धन्नालाल हि. 1/12 जाति खाती सा. देह खातेदार		
		कुल	कुल	कुल 2.0800 में से 1.6000 हेक्ट.

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिष्टुति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिष्टुति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UJDI) आईकॉन पर जाकर समर्थक दरतावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपरोक्त नियत समय के भीतर-भीतर, किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हरताक्षर और मुहर के अधीन आज 30-06-2023 को जारी की गयी।

  
रामकिशोर व्यास  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

दुराण 191-141-2574798 : ईपीवीएफ - 191-141-2589698 एक्सटे.: 8340 : फैक्स-191-141-2574555

c-mail:



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102653

2998

DATED-30/6/2023

## लोक सूचना

खातेदार आवेदक श्री अजय कुमार पुत्र श्री घासीलाल एवं श्री सुगनलाल पुत्र श्री प्रभूनारायण सह खातेदार द्वारा इस कार्यालय मे नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम-सिरोली तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर	श्री अजय कुमार पुत्र श्री घासीलाल हिस्सा 1/2, निवासी ए-9 जे पी कॉलोनी टॉक फाटक, जयपुर श्री सुगनलाल पुत्र श्री प्रभूनारायण हिस्सा 1/2, निवासी पीपली की ढाणी, ग्राम सिरोली, तह. सांगानेर, जयपुर	2203	0.3700 हैक्टेयर
ग्राम-सिरोली तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर	श्री अजय कुमार पुत्र श्री घासीलाल, निवासी ए-9 जे पी कॉलोनी टॉक फाटक, जयपुर	2204	0.1200 हैक्टेयर
कुल		कुल किता 02	रकबा 0.4900 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने ओर अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 30/6/23 को जारी की गयी।

उपायुक्त जोन-9  
जयपुर, प्राधिकरण  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपी-जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-9  
उपायुक्त जोन-9  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जयपुर, जयपुर

[रामकिशोर ठ्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {8320}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : abusufiyan.ras@gmail.com

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जाविप्रा/उपा/जोन-12/2023/अ 8347

दिनांक 30-6-23

## सार्वजनिक सूचना

इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित खातेदार आर्यन लैण्डमार्क डवलपर्स एलएलपी जरिये अधिकृत पार्टनर श्री रामचन्द्र यादव पुत्र श्री हरसाहाय यादव पंजीकृत कार्यालय 2सी, स्वरूप कालोनी, डीसीएम, अजमेर रोड, जयपुर द्वारा आवारणीय हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	स्वामित्व	वर्तमान स्वामित्व
जयपुर जिला जयपुर	भांकरोटा कलां	183	0.34	मैसर्स निरालाज विल्डहोम डवलपर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक हरिसिंह चौधरी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
		कुल किता 1	0.34 हेक्टर		

अतः उक्त भूमि का आवारणीय योजना में अनुमोदन किये जाने के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था/हितधारक को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करावे अन्यथा नियत अवधि पश्चात नियमानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और गुहर के अधीन आज 30-6-23 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सागकेशोर व्यास भवन, इन्दिरा साकिल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004  
191-141-2574798 : ईमेल/फैक्स 191-141-2569698 एक्सटें. 8340 : फैक्स-191-141-2574555  
c-mail:



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-1469  
सार्वजनिक सूचना

दिनांक 30-6-23

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति का नाम/निजी खातेदारी/जविप्रा	योजना का नाम	विवरण
1.	47	श्री लोकेन्द्र कुमार गर्ग पुत्र श्री माधोलाल गर्ग	निजी खातेदारी	गोवर्धन वाटिका	लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा हेतु
2	46	श्री लोकेन्द्र कुमार गर्ग पुत्र श्री माधोलाल गर्ग	निजी खातेदारी	गोवर्धन वाटिका	लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा हेतु

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-14,  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।